


180  
28.5.14

39

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०

श्री. शो. कृष्ण. प्र. जा. व. को. एड.  
द्वारा आज दिनांक 19.5.14 के  
प्रस्तुत किया गया।



जि. 1802-III-14

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

Rs. 20/-

श्री बृजभान कुशवाहा तनय रामप्रभाव कुशवाहा निरलम्बित सचिव  
ग्राम पंचायत पुरवा, जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा  
म०प्र०

आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. जोखू लाल सरपंच ग्राम पंचायत पुरवा, जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र०

अनावेदकगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार  
तहसील गुढ़, सर्किल दुआरी, जिला रीवा  
राजस्व प्रकरण 1376/2013-2014 आदेश  
दिनांक 19.5.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूरा० सं०

महोदय,

:: संक्षिप्त बिवरण ::  
=====

यह निगरानी नायब तहसीलदार साहव तहसील गुढ़, सर्किल दुआरी,  
के आदेश दिनांक 19.5.14 के बिरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है। नायब  
तहसीलदार साहव ने उक्त प्रकरण में आर.आर.सी. की राशि वसूली  
की कार्यवाही धारा 146 के अन्तर्गत मांग पत्र की सूचना अस्पष्ट तौर  
पर देकर बिना सुनवाई ही धारा 147 के सभी प्रावधानों का प्रयोग  
एक ही दिन में करने हेतु आदेश देकर अनियमितता की है। क्योंकि  
धारा 146 की नोटिस के जवाब में आवेदक द्वारा आर.आर.सी. की  
बकाया राशि का कार्य कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन भी जवाब

दिनांक 1956  
सर्किट कोर्ट द्वारा आज  
को प्राप्त

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर


Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.1802-III/14

जिला-रीवा

बृजभान कुशवाहा/शासन, जोखूलाल सरपंच

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	